

सं0 12001/1/2013/डी.एम.एस. / अधि.

भारत सरकार

दिल्ली दुग्ध योजना ,पश्चिमी पटेल नगर
नई दिल्ली - 110008

नोटिस

दिल्ली दुग्ध योजना (दि.दु.यो.) वर्ष 2014 के लिए 31.12.2014 तक अनुबंध के आधार पर पंजीकृत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों / दुग्ध उत्पादक कंपनियों / पंजीकृत फर्म / कंपनी जो दूध के व्यवसाय (दूध संकलन और संसाधन) करती हो और जो 1992 एम.एम.पो.ओ. / एफ.एस.एस. ए. आई. के तहत पंजीकृत हो, से दि.दु.यो. की दुध खरीद निती के तहत समय-समय पर लागू होने वाली खरीद दरों एवं प्रोत्साहन स्कीम पर दूध की सप्लाई / अधिप्राप्ति हेतु ऑफर आमंत्रित करती हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त वे स्किम्ड / कनडेन्स स्किम्ड दूध की सप्लाई के लिए भी अपनी ऑफर दे सकते हैं ।

इच्छुक समितियाँ / दुग्ध उत्पादक कंपनियां तथा अन्य फर्म निम्नलिखित ब्योरे के साथ अपनी ऑफर दिनांक 31.07.2014 तक महाप्रबन्धक , दि.दु.यो. को भिजवा दें ।

1. सहकारी समिति /दुग्ध उत्पादक कंपनी / फर्म का नाम ।
2. पंजीकरण संख्या तथा तारीख (प्रा.लि. कंपनी)।
3. उप-विधियों के पंजीकृत संशोधन सहित उप-विधियों से संबंधित प्रति / मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल अन्य संबंधित सूचना की प्रति ।
4. समिति / कंपनी के वर्तमान सदस्यों / अधिकारियों सहित फर्म / कंपनी की रचना ।
5. पत्राचार का पता टेलीफोन नम्बर , फैक्स नम्बर इत्यादि सहित ।
6. दुग्ध आपूर्ति की किस्म एवं प्रतिदिन आपूर्ति की प्रस्तावित मात्रा ।
7. ऑपरेशन का क्षेत्र ।
8. अवसंसाधनों के वितरण सहित हैडलिंग क्षमता।
9. एम.एम.पी.ओ.- 1992 / फूड स्टैन्डर्ड एवं सेफ्टी एक्ट (एफ.एस.एस.ए.आई.) के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें) ।
10. गत तीन वर्षों के दौरान किए गये व्यवसाय का ब्योरा ।

अन्य शर्तों व उपबंधों के बारे में जानकारी महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में दूरभाष नं. 011-25872455, फैक्स 011-25872466 एवं दिल्ली दुग्ध योजना की वेबसाईट dms.nic.in. के द्वारा प्राप्त की जा सकती है । महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना को किसी भी ऑफर को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

डा. बलबीर बैनीवाल
महाप्रबन्धक

NOTICE

**F.No.12001/1/2013-DMS/Proc.
Government of India
Delhi Milk Scheme
West Patel Nagar
New Delhi-110008**

....

Delhi Milk Scheme (DMS) invites offers for procurement of raw-chilled/pasteurized milk (cow/mixed milk) from State Dairy Federations, registered primary milk producers Co-operative Societies/Milk Producers Companies/Registered Firms/Pvt. Ltd. Companies doing the milk business (procurement and processing of milk) having MMPO\FSSAI certificate on the rates, incentive which are applicable as per the milk procurement pricing policy of DMS from time to time on the agreement basis up to 31.12.2014. In addition to the above they can also offer for supply of skimmed milk/condensed skimmed milk. The preference will be given to State Dairy Federations.

Interested Societies/Producer Companies & other Firms may send their offers to the General Manager, DMS up to 31.7.2014 with the following details:-

- i) Name of the Society/Producer Company/Firm/Pvt. Ltd. Co.
- ii) Date & registration No. along with attested photocopies
- iii) Attested copy of registered bye-laws/Memorandum of Articles
- iv) Constitution of the society/Company along with list of present Members/office bearers
- v) Address for communication including tel./fax No. and E- Mail address
- vi) Qty. and type of milk that can be offered per day.
- vii) Area of operation
- viii) Present handling capacity along with details of infrastructure.
- ix) Attested copy of certificate of registration under MMPO-1992/Food standard & safety Act(FSSAI).
- x) Details of business conducted during the last 3 years.

The details of other terms and conditions may be obtained from General Manager, DMS Telephone No.: 011- 25872455, Fax no. 011-25872466, website of Delhi Milk Scheme i.e dms.nic.in and E-Mail address :- gm.dms@nic.in during working hours. G.M DMS have the right to accept/reject the offer to finalize the agreement without assigning any reason.

**Dr.B.S.BENIWAL
GENERAL MANAGER**